(राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 208/2017 अनवान राजेन्द्र बनाम स्टेट)

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2017 कैम्प ग्राम पंचायत साधूवाली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 208/2017

1. राजेन्द्र पुत्र हेतराम जाति बिश्नोई साकिन 2 डी छोटी तहसील श्रीगंगानगर।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

–:: बनाम ::–

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार गंगानगर।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 09.06.2017

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत साधूवाली मे आयोजित शिविर के अन्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 2 डी. छोटी के खाता संख्या 64 मुरब्बा नम्बर 37 किला नम्बर 17 मे 0.013 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत शुद्धा है।

प्रार्थी पूर्व में स्वीकृत शुद्धा रास्ता की चौड़ाई बढ़ाना चाहता है। अतः पूर्व में स्वीकृत रास्ता मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 17 में 0.013 के चिपता हुआ दक्षिण पश्चिम दिशा में एक बिस्वा यानि 0.013 हैक्टर रकबा में खातेदारी को कम करते हुए रास्ता स्वीकृत करनें की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियान के दौरान तहसीलदार श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 2 डी छोटी के खाता संख्या 12 मुरब्बा नम्बर 37 में 0.101 किला नम्बर 17 में राजेन्द्र पुत्र हेतराम बिश्नोई साकिन देह खातेदार दर्ज है।

खाता संख्या 64 मुरब्बा नम्बर 37 किला नम्बर 17/1 में 0.013 हैक्टर रकबा पूर्व में रास्ता स्वीकृत है। प्रार्थी राजेन्द्र पुत्र हेतराम रास्ते की चौड़ाई बढ़ानें के लिये पूर्व स्वीकृत रास्ता के दक्षिण पश्चिम में मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 17 का 0.013 हैक्टर रकबा को समर्पित कर रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है।

प्रार्थी को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में रास्ते की चौड़ाई बढ़ाये जानें हेतु निवेदन किया है, जो स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया है।

– :: आदेश ::–

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत चक 2 डी. छोटी के खाता संख्या 64 मुरब्बा नम्बर 37 किला नम्बर 17 में 0.013 हैक्टर पूर्व में स्वीकृत गैर मुमकिन के चिपता हुआ मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 17 में 0.013 के चिपता हुआ दक्षिण पश्चिम दिशा में एक बिस्वा यानि 0.013 हैक्टर रकबा में प्रार्थी की खातेदारी को कम करते हुए रास्ता स्वीकृत किया जाता है। गैर मुमकिन रास्ता सार्वजनिक उपयोग हेतु रहेगा।

तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनाक 09.06.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत साधूवाली के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)